लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था.–2/अ/48/2006–10/1081 भोपाल, दिनांक 7-4-2010

प्रति,

श्री जगदीश चंद्र चौधरी,
व्याख्याता, (गणित)
शा.उ.मा.वि. पीथमपुर
जिला धार ।

विषयः–व्याख्याता (गणित) के पद पर की गई त्रुटिपूर्ण पदोन्नति निरस्त करने के संबंध में ।
संदर्भः–संचालनालय का कारण बताओं सूचना पत्र क्रमांक/स्था.2/अ/48/2006–08/1070 दिनांक 07.06.08 ।

::0::

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपको गणित विषय अंतर्गत व्याख्याता पद पर की गई त्रुटिपूर्ण पदोन्नति के संबंध में कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस में प्रतिवाद चाहा गया था, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है । संचालनालय के आदेश कमांक स्था.2/ए/पदो./व्या./गणित/98–99 दिनांक 28.01.95 द्वारा आपकी पदोन्नति व्याख्याता पद पर की जाकर दिनांक 07.03.92 से वरिष्ठता प्रदान की गई । पदोन्नति आदेश अंतर्गत आपकी शिक्षक संवर्ग की वरिष्ठता दिनांक 23.08.85 अंकित है, जबकि आप अंतर विभागीय स्वैच्छिक स्थानांतरण दिनांक 15.07.88 के आधार पर स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत हुये है । उक्त स्थानांरतण आदेश कंडिका के अनुसार आपको पूर्व विभाग की वरिष्ठता का त्याग करना होगा एवं स्थानांतरित विभाग में अपने संवर्ग में सबसे कनिष्ठ होगे और आपकी वरिष्ठता कार्यभार ग्रहण दिनांक से मानी जावेगी । जिस अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग में आपकी शिक्षक संवर्ग की वरिष्ठता का निर्धारण कार्यभार ग्रहण दिनांक 19.08.88 से होगा न कि नियुक्ति दिनांक 23.08.85 के आधार पर । आपकी पदोन्नति को आधार बनाकर एक अन्य लोक सेवक श्री हिमांशु नाडकर व्याख्याता शा.भोज़ कन्या उ.मा.वि. धार द्वारा वरिष्ठता की मांग को लेकर प्रकरण मान. जिला न्यायालय धार में दायर किया गया, जिसका प्रकरण कमांक 25–ए/07–10 है । जिसके अंतर्गत पारित निर्णय दिनांक 18.02.08 अनुसार श्री नाडकर को वेतन अंतर राशि का भुगतान किया जाकर वेतन निर्धारण हेतु निर्देश दिये गये है । आपकी शिक्षा विभाग में अंतर विभागीय स्थानांतरण के फलस्वरूप शिक्षक संवर्ग की वरिष्ठता दिनांक कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक 19.08.88 से मान्य की जानी है । ऐसी स्थिति में आपकी नियुक्ति दिनांक 23.08.85 के आधार पर की गई पदोन्नति नियमानुकूल नहीं है । वर्तमान में गणित विषय अंतर्गत दिनांक 31.12.86 तक की वरिष्ठता वाले शिक्षको को व्याख्याता गणित के पद पर पदोन्नत किया गया है । जिस कारण से आपकी शिक्षा विभाग में वरिष्ठता दिनांक 19.08.88 होने के कारण आपको पदोन्नति की पात्रता नहीं बनती है । अतः आपकी पदोन्नति नियमानुकूल न होने के कारण तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है ।

संचालक
लोक शिक्षण म.प्र.

पृष्ठां.क्रमांक / स्था.–2 / अ / 48 / 2006–10 / 1081 भोपाल, दिनांक 7-7-2010

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. संयुक्त संचालक विधि (स्थानीय) लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.
3. संयुक्त संचालक विधि प्रकोष्ठ इंदौर संभाग इंदौर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी जिला धार को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित लोक सेवक को पदोन्नति निरस्तीकरण आदेश की प्रति विधिवत तामील कराकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही कर अवगत करायें ।

संचालक
लोक शिक्षण म.प्र.